



पत्रांक संख्या 1-1/2006/सम्पदा गार्ड

दिनांक 23/10/2017

कार्यालय आदेश

निदेशक महोदय के अनुमोदन के उपरान्त संस्थान परिसर में वैवाहिक कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में प्लास्टिक गिलास, प्लास्टिक प्लेट्स एवं थरमाकोल गिलास, थरमाकोल प्लेट्स के प्रयोग करने के सन्दर्भ में कथित वस्तुओं के उपयोग के सम्बन्ध में धरोहर राशि में रुपये 1000/- से बड़ा कर 5000/- कर दिये जाने का निर्णय लिया गया है। धरोहर राशि में बड़ोतरी के सम्बन्ध में निर्णय कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। यदि वैवाहिक आदि के आयोजनों में संस्थान परिसर में प्लास्टिक गिलास, प्लास्टिक प्लेट्स एवं थरमाकोल गिलास, थरमाकोल प्लेट्स का प्रयोग किया जाता है तो कथित बड़ाई गयी धनराशि जब्त कि जायेगी।

प्रति  
(फरीद खान) 23/10/17

वरि० प्रशा० अधिकारी एवं प्रभारी (यूनिट-III)

विपरण:

1. सभी संयुक्त निदेशक/विभागाध्यक्ष/नियंत्रक/प्रभारी अधिकारी/मु०प्र०अ०/व०प्र०अ०/प्रशा० अधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी/सहा० प्रशा० अधि०/ भा०पशु०चि०अनु०संस्थान० इज्जतनगर।
2. प्रभारी एरिस सैल को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि कृपया उक्त परिपत्र को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. निदेशक के वैयक्तिक सहायक भा०पशु०चि०अनु०संस्थान० इज्जतनगर।
4. नोटिस बोर्ड भा०पशु०चि०अनु०संस्थान० इज्जतनगर।